सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट नई दिल्ली
भारत पिन– 110001

दिनांक– 27/07/2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 521/2022, सम्पूर्णा नन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित **आदेश दिनांक 27/04/2023 व 03/07/2023 के अवमानना** के सम्बंध में–

महोदय्–

सादर अवगत कराना है कि उक्त केस में माननीय अधिकरण के निर्देश पर **दिनांक 23 व 24 नवम्बर 2022 को अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई, सोनपुर, बियाहूर व चकजाता** के पहाड़ो के खनन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण केन्द्रीय जॉच समिति द्वारा किया गया था जिसमें बहुत ही ज्यादा खामियॉ पाई गई थी जिसकी रिपोर्ट भी माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में **दिनांक 03/02/2023 को केन्द्रीय जॉच समिति द्वारा भेजा गया था जो 06/02/2023 माननीय एनजीटी के साइट पर अपलोड किया चुका है** । जिसमें कुल 40 खनन पट्टों का जिक्र है जिसमें से 39 खनन पट्टों के संचालकों पर सम्भावित जूर्माने की राशि बतायी गई थी साथ ही 26 क्रेशर प्लांटों का भी जिक्र था और बताया गया था कि सभी मानक विपरीत संचालित हो रहे हैं जिसमें यह नही बताया गया था कि किस क्रेशर प्लांट पर कितनी कितनी खामिया मिली जिसे माननीय अधिकरण ने गम्भीरता से लेते हुए **दिनांक 27/04/2023** जॉच समिति को यह निर्देश दिया कि प्रत्येक क्रेशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण करके प्रत्येक क्रेशर प्लांटों का रिपोर्ट माननीय अधिकरण में 2 महीने के अन्दर सौप दें। साथ ही दिनांक 27/04/2023 के सुनवाई के पश्चात उपरोक्त ग्राम सभा में **प्रश्नगत खनन पट्टों से किसी भी तरह कि खनन पर लगाने का आदेश दिया गया जिसकी जिम्मेवारी श्रीमान जिला अधिकारी मिर्जापुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया देखें संलग्नक संख्या 1** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश की छाया प्रति माननीय न्यायाधिकरण के उक्त निर्देश के कम में **श्रीमान् जिलाधिकारी मिर्जापुर की ओर से बनाई गई संयुक्त समिति ने दिनांक – 18/06/2023 को उपजिलाधिकारी चुनार के नेतृत्व में जॉच किया गया जिसमें दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के माध्यम से पता चला कि श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि स्टोन केशर प्लांटों पर पर न तो समुचित ऊंचाई में बाउंड्रीवाल मिली न ही हरित पट्टिका विकसित करने के लिए पौधरोपण कराया गया था।पानी के छिड़काव आदि की व्यवस्था भी मानक के अनुरुप नहीं थी। वाटर मीटर भी नहीं पाया गया । यहां उड़ने वाली धूल के निस्तारण के लिए भी समुचित प्रबंध नहीं मिले। दिनांक 19/06/2023 के दैनिक जागरण समाचार पत्र का छाया प्रति संलगन है। लेकिन अधिकतर खनन पट्टे संचालित हो रहे हैं जो सिधे – सिधे कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहे हैं ।** महोदय दिनांक 20/07/2023 को ग्रामसभा भगौती देई में स्थित खनन स्थल में अवैध रुप से भारी ब्लास्टिंग कराई गई सिकके चलते कई लोंगों के घरों में क्षति हुई व 3 लोग घायल हो गए जिसको लेकर ग्रामिणों ने स्थानीय थाना पर प्राथमिकि दर्ज कराया जिसका fir no. 0123/2023 जिसकी छाया प्रति संलग्न है। इसके साथ ही कई खदानों में खनन कार्य व अवैध रुप से भारी ब्लास्टिग आज दिनांक 27/07/2023 तक पुरे जोर शोर से हो रहा है और केशर प्लांटों का भी संचालन हो रहा है।

दिनांक 27/04/2023 के निर्देश पर ही संयुक्त जांच समिति ने **दिनांक 01/07/2023 को क्षेत्र के 26 केशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण किया**

केशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण किया संयुक्त जांच समिति द्वारा किसी तरह की जांच कि सूचना प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी काफी देर बाद प्रार्थी को इसकी सूचना क्षेत्र के किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई तो प्रार्थी भी मौके पर पहुचा जिसके बाद 6 केश्रर प्लांटों का निरीक्षण किया गया संयुक्त जांच टीम ने बताया कि 20 केश्रर प्लांटों का निरीक्षण आपके यहां आने से पूर्व किया जा चुका है महोदय प्रार्थी के उपस्थिति में जिन 6 केश्रर प्लांटों का निरीक्षण किया गया था वे सब बिल्कुल ही मानक विपरीत विना किसी मानक के थे । महोदय दिनांक 03/07/2023 को उक्त मुकदमें की सूनवाई में **उपरोक्त ग्राम सभा में संचालित सभी स्टोन केशर प्लांटों को अग्रिम आदेश तक बंद करने का आदेश माननीय एनजीटी द्वारा दिया गया है देखें संलग्नक संख्या– 2 लेकिन अधिकतर स्टोन केशर प्लांट खनन पट्टे संचालित हैं जो माननीय कोर्ट के आदेश का अवमानना है।**

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त विषयक केस में क्षेत्र में संचालित खनन पट्टों व केश्रर प्लांटों के संचालन पर लगाए गए रोक के आदेश का कड़ाई के साथ पालन कराया जाए और जो खनन पट्टा धारक तथा स्टोन केश्रर संचालक माननीय कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहें हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रार्थी
Sampurnanand
सम्पूर्णा नन्द 27/07/2023
ग्राम– भगौती देई, पो0– पटिहटा, चुनार थाना– अहरौरा मिर्जापुर उ0प्र0
पिन– 231304 मो0– 9450936703 इमेल 89sampurna@gmail.com

प्रतिलिपि–

1– श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0
2–श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0
4– श्रीमान उपजिला अधिकारी महोदय त0– चुनार जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0
4–श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय थाना – अहरौरा जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0
6– समस्त व्यूरोचीफ प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया मिर्जापुर उ0प्र0

प्रार्थी
Sampurnanand
सम्पूर्णा नन्द 27/07/2023
ग्राम– भगौती देई, पो0– पटिहटा, चुनार थाना– अहरौरा मिर्जापुर उ0प्र0
पिन– 231304 मो0– 9450936703 इमेल 89sampurna@gmail.com

13. Section 19 (4) (i) of the National Green Tribunal Act, 2010, empowers this Tribunal to pass an interim order (including granting an injunction or stay) after providing the parties concerned an opportunity to be heard, on any application made or appeal filed under the above said Act, while Section 19 (4) (j) thereof empowers this Tribunal to pass an order requiring any person to cease and desist from committing or causing any violation of any enactment specified in Schedule I. While notice is required to be given before passing of interim injunctive order under Section 19 (4) (i) of the National Green Tribunal, 2010, there is no such requirement under Section 19(4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010.

14. Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 requires this Tribunal to apply the principle of sustainable development, the precautionary principle and the polluter pays principle while passing any order or decision or award.

15. In view of the facts and circumstances of the case that all the mining lease project proponents have not obtained CTE/CTO from UPPCB and consequent violation of the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 by the mining lease project proponents, we direct all the mining lease project proponents to cease and desist from committing or causing any violation of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and no further mining shall be carried on in the mining leases in question till further orders to the contrary by this Tribunal.

16. The District Magistrate, Mirzapur and Superintendent of Police, Mirzapur are directed to take all necessary steps for ensuring that no illegal mining takes place from the mining lease sites in question.

17. List for further consideration on 03.07.2023.

11. Reply/response on behalf of respondents no. 1 to 3 be filed within **two weeks** by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

12. Interim order dated 27.04.2023 shall continue to operate and no further mining shall be carried on in the mining leases in question till further orders to the contrary by this Tribunal.

13. In view of the interim order dated 27.04.2023 prohibiting mining in the mining leases in question, precautionary principle and to prevent illegal mining in the area, all the stone crushers operating in the above said villages on the basis of the mining in said mining lease sites shall also remain closed till further orders to the contrary.

14. The District Magistrate, Mirzapur and Superintendent of Police, Mirzapur are directed to take all necessary steps for ensuring that no illegal mining takes place in the mining lease sites in question and the stone crushers in question do not illegally operate.

15. List for further consideration on 25.08.2023.

16. In view of the facts and circumstances of the case, we consider presence of the District Magistrate, Mirzapur before this Tribunal on the next date of hearing to be essential for producing the relevant documents regarding service of notices on respondents no. 4 to 43 and implementation of the interim order dated 27.04.2023 passed by this Tribunal and also for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and the District Magistrate, Mirzapur is accordingly

Tweet

Drx. Sampurna Nand
@dr_sampurna

किसी इंतजार में हैं शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग आखिर आप लोग जागेंगे कब जब सिकायत करने वाले सभी ग्रामीणों की हत्या हो जाएगी तब @PMOIndia @CMOfficeUP @adgzonevaranasi @homeupgov @ChiefSecyUP @digmirzapur @mirzapurpolice @DM_MIRZAPUR @IPS_SantoshM @SujeetSamratBSP @AnupriyaSPatel

Translate Tweet

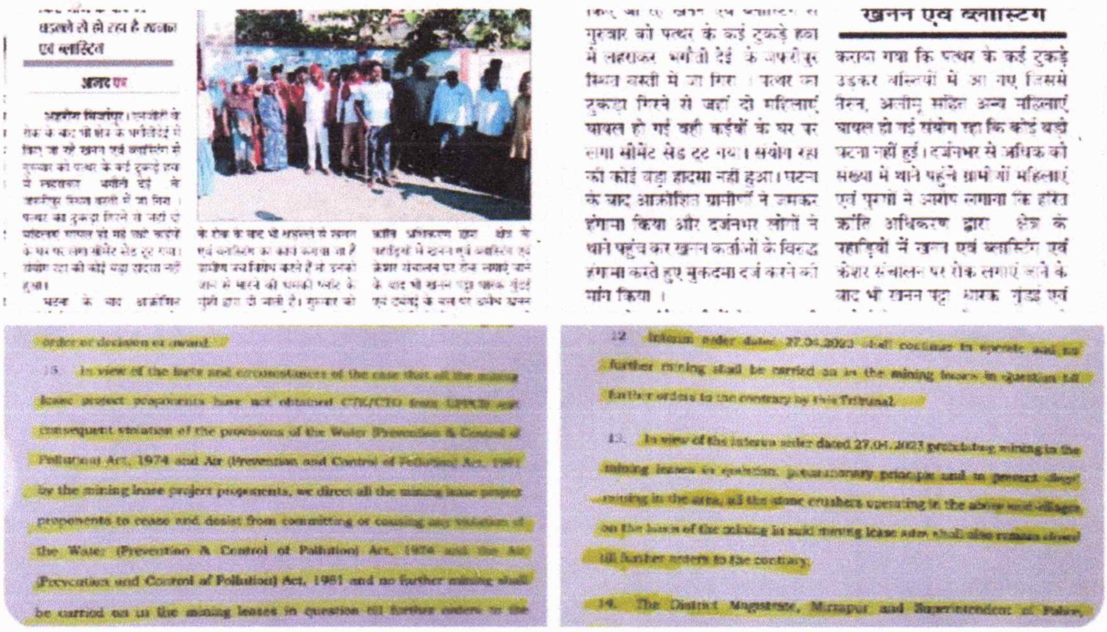

2:12 pm · 21 Jul 23 · **20** Views

प्रार्थी द्वारा किया गया ट्वीट

View Tweet activity

Drx. Sampurna Nand @dr_sampurna · 30m
Replying to @dr_sampurna

आज तो इतनी ब्लास्टिंग हुई है भगौती देई, सोनपुर के पहाड़ों में जीतनी यहां लिज भी नहीं है।
जिस सेटेलाइट से किसानों द्वारा जलाई गई पराली दिख जाती है उस सेटेलाइट से शासन प्रशासन को अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन क्यों नहीं दिख रहा।

← **Tweet**

@PMOIndia @CMOfficeUP @adgzonevaranasi @homeupgov @ChiefSecyUP @digmirzapur @mirzapurpolice @DM_MIRZAPUR @IPS_SantoshM @SujeetSamratBSP @AnupriyaSPatel

Translate Tweet

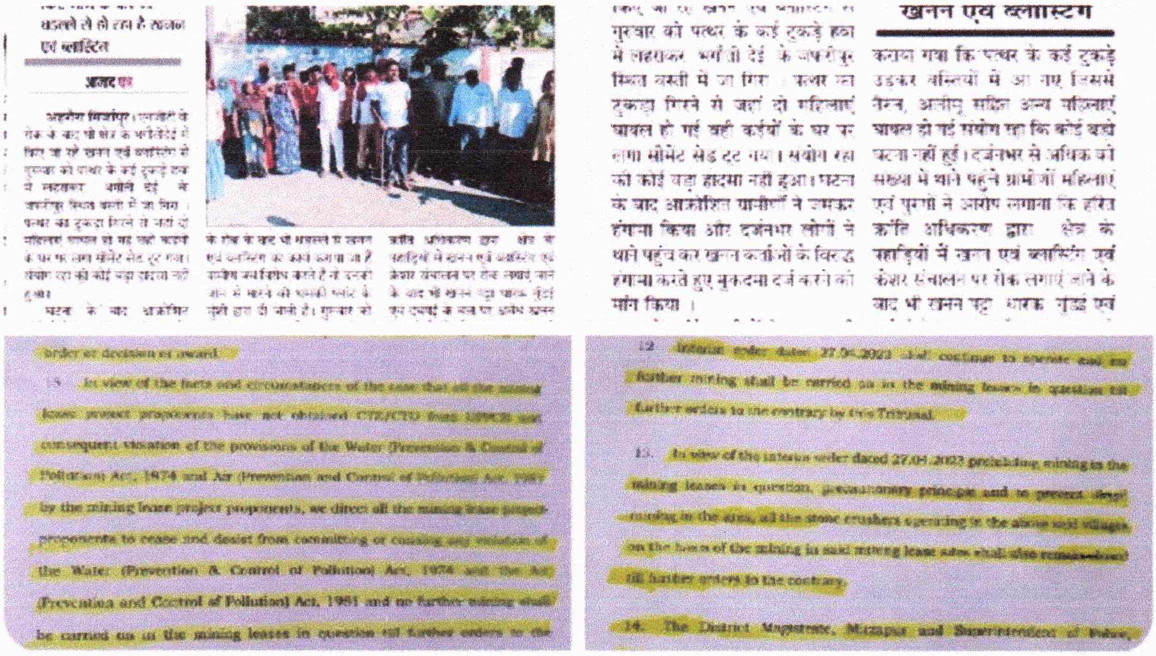

2:12 pm · 21 Jul 23 · **20** Views

प्रार्थी द्वारा किया गया ट्वीट

View Tweet activity

Drx. Sampurna Nand @dr_sampurna · 30m

Replying to @dr_sampurna

आज तो इतनी ब्लास्टिंग हुई है भगौती देई, सोनपुर के पहाड़ों में जीतनी यहां लिज भी नहीं है।

जिस सेटेलाइट से किसानों द्वारा जलाई गई पराली दिख जाती है उस सेटेलाइट से शासन प्रशासन को अबैध ब्लास्टिंग और अबैध खनन क्यों नहीं दिख रहा।

1 17

Drx. Sampurna Nand @dr_sampurna · 22m

हैवी ब्लास्टिंग से फिर दहला घासीपुर भगौतिदेई के ग्रामीणों ने किया हंगामा

भास्कर ब्यूरो

• हैवी ब्लास्टिंग से कइयों के मकान हुए क्षतिग्रस्त, तीन महिलाओं को आई चोट

अहरौरा, मिर्जापुर। घासीपुर बसाड़ी व भगौतिदेई (जफरीपुर) में पहाड़ पर हैवी ब्लास्टिंग होने से इन दिनों ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिन गुरुवार को मानक के विपरीत अवैध रूप से हैवी ब्लास्टिंग होने से पत्थर उछलकर गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों के मकान पर गिर गया और मकान छतिग्रस्त हो गया। वही पत्थर की टुकड़ा गिरने से तीन महिला चोट आई। वही ग्रामीणों ने कहा कि मानक के विपरीत हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग व की कई बार शिकायत की जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की और से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। और एनजीटी द्वारा सभी प्लांट बन्द कर दिया गया था इसके बावजूद ब्लास्टिंग हो रहा है। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दर्जनों ग्रामीणों ने हंगामा भी किया।

ग्राम प्रधान शौकत अली ने अहरौरा थाना में लिखित तहरीर

मानक के विपरित अवैध रूप से हैवी ब्लास्टिंग से खनन के पत्थर आधा दर्जन से अधिक मकान, तैरुन पत्नी जुमराती, झुंन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय बाले, अलीमुन पत्नी एकलाख, राहुल कुमार पुत्र (क्षेत्र पंचायत सदस्य), शौकत अली ग्राम प्रधान घासीपुर, सीताराम, शोभनाथ, धर्मराज सिंह, एकलाख सहित अन्य लोगों के मकान पर पत्थर का टुकड़ा गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और तैरुन पत्नी जुमराती, झुंन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय बाले सोनकर, अलीमुन पत्नी एकलाख, तीन लोग घायल हो गए। प्रधान ने बताया कि जब गांवों वालो ने दिव्यांश कंट्रक्शन के मुंशी (मुरली) को मना करते हैं तो जान

अवैध ब्लास्टिंग से उड़ा पत्थर दो महिलाएं जख्मी, कईयों का करकट टूटा

- एनजीटी द्वारा खनन बंद किए जाने के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा है खनन एवं ब्लास्टिंग

आजाद पत्र

अहरौरा मिर्जापुर। एनजीटी के रोक के बाद भी क्षेत्र के भगौतीदेई में किए जा रहे खनन एवं ब्लास्टिंग से गुरुवार को पत्थर के कई टुकड़े हवा में लहराकर भगौती देई के जफरीपुर स्थित बस्ती में जा गिरा । पत्थर का टुकड़ा गिरने से जहां दो महिलाएं घायल हो गई वही कईयों के घर पर लगा सीमेंट सेड टूट गया। संयोग रहा की कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और दर्जनभर लोगों ने थाने पहुंच कर खनन कर्ताओं के विरुद्ध हंगामा करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग किया। थाने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया की बियाहुर गांव के पूरब तरफ स्थित जफरीपुर भगौतीदेई के पहाड़ पर स्थित खनन पट्टा स्थल पर दिव्यांश कंस्ट्रक्शन द्वारा एन जी टी के रोक के बाद भी धड़ल्ले से खनन एवं ब्लास्टिंग का कार्य कराया जा है ग्रामीण जब विरोध करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी प्लांट के मुंशी द्वारा दी जाती है। गुरुवार को पहाड़ पर इतना जोरदार ब्लास्टिंग कराया गया कि पत्थर के कई टुकड़े उड़कर बस्तियों में आ गए जिससे तैरुन, अलीमू सहित अन्य महिलाएं घायल हो गई संयोग रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई।

दर्जनभर से अधिक की संख्या में थाने पहुंचे ग्रामीणों महिलाएं एवं पुरुषों ने आरोप लगाया कि हरित क्रांति अधिकरण द्वारा क्षेत्र के पहाड़ियों में खनन एवं ब्लास्टिंग एवं क्रेशर संचालन पर रोक लगाएं जाने के बाद भी खनन पट्टा धारक गुंडई एवं दबंगई के बल पर अवैध खनन कर रहे हैं और क्रेशर प्लांट चला रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला संज्ञान में है जांच की जा रही है। एनजीटी में शिकायत करने वाले संपूर्णानंद ने मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को ट्वीट करके एनजीटी के रोक के बाद भी हो रहे खनन एवं ब्लास्टिंग पर कार्रवाई करने की मांग की है।

अवैध ब्लास्टिंग से उड़ा पत्थर, दो महिलाएं जख्मी कईयों का करकट टूटा

परफेक्ट मिशन

एनजीटी द्वारा खनन बंद किए जाने के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा है खनन एवं ब्लास्टिंग

अहरौरा (मिर्जापुर)। एनजीटी के रोक के बाद भी क्षेत्र के भगौतीदेई में किए जा रहे खनन एवं ब्लास्टिंग से गुरुवार को पत्थर के कई टुकड़े हवा में लहराकर भगौती देई के जफरीपुर स्थित बस्ती में जा गिरा । पत्थर का टुकड़ा गिरने से जहां दो महिलाएं घायल हो गई वही कईयों के घर पर लगा सीमेंट सेड टूट गया। संयोग रहा की कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और दर्जनभर लोगों ने थाने पहुंच कर खनन कर्ताओं के विरुद्ध हंगामा करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग किया ।

थाने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया की बियाहुर गांव के पूरब तरफ स्थित जफरीपुर भगौतीदेई के पहाड़ पर स्थित खनन पट्टा स्थल पर दिव्यांश कंस्ट्रक्शन द्वारा एन जी टी के रोक के बाद भी धड़ल्ले से खनन एवं ब्लास्टिंग का कार्य कराया जा हैं ग्रामीण जब विरोध करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी प्लांट के मुंशी द्वारा दी जाती है । गुरुवार को पहाड़ पर इतना जोरदार ब्लास्टिंग कराया गया कि पत्थर के कई टुकड़े उड़कर बस्तियों में आ गए जिससे तैरुन, अलीमू सहित अन्य महिलाएं घायल हो गई संयोग रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। दर्जनभर से अधिक की संख्या में थाने पहुंचे ग्रामीणों महिलाएं एवं पुरुषों ने आरोप लगाया कि हरित क्रांति अधिकरण द्वारा क्षेत्र के पहाड़ियों में खनन एवं ब्लास्टिंग एवं क्रेशर संचालन पर रोक लगाएं जाने के बाद भी खनन पट्टा धारक गुंडई एवं दबंगई के बल पर अवैध खनन कर रहे हैं और क्रेशर प्लांट चला रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला संज्ञान में है जांच की जा रही है। एन जी टी में शिकायत करने वाले संपूर्णानंद ने मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को ट्वीट करके एनजीटी के रोक के बाद भी हो रहे खनन एवं ब्लास्टिंग पर कार्रवाई करने की मांग की है।

हैवी ब्लास्टिंग से फिर दहला गांव, ग्रामीणों का हंगामा

हैवी ब्लास्टिंग से उछलकर गिरे पत्थर कइयों के मकान हुए क्षतिग्रस्त और तीन महिला को आई चोट

मीरजापुर। पहाड़ पर हैवी ब्लास्टिंग होने से इन दिनों ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिन गुरुवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के घासीपुर बसाड़ी व भगौतिदेई (जफरीपुर) में मानक के विपरीत अवैध रूप से हैवी ब्लास्टिंग होने से पत्थर उछलकर गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों के मकान पर गिर गया और मकान छतिग्रस्त हो गया। पत्थर की टुकड़ा गिरने से तीन महिला चोट आई। वही ग्रामीणों ने कहा कि मानक के विपरीत हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग व की कई बार शिकायत की जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की और से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। और एनजीटी द्वारा सभी प्लांट बन्द कर दिया गया था इसके बावजूद ब्लास्टिंग हो रहा है। जिससे ग्रामीणों में

दहशत का माहौल बना हुआ है। दर्जनों ग्रामीणों ने हंगामा भी किया।

ग्राम प्रधान शौकत अली ने अहरौरा थाना में लिखित तहरीर दिया कि दिन गुरुवार की दोपहर मानक के विपरित अवैध रूप से हैवी ब्लास्टिंग से खनन के पत्थर की टुकड़ा गिरने से आधा दर्जन से अधिक मकान, तैरून पत्नी जुमराती, झुंन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय बाले, अलीमुन पत्नी एकलाख, राहुल कुमार पुत्र (क्षेत्र पंचायत सदस्य), शौकत अली ग्राम प्रधान घासीपुर, सीताराम, शोभनाथ, धर्मराज सिंह, एकलाख सहित अन्य लोगों के मकान पर पत्थर का टुकड़ा गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और तैरून पत्नी जुमराती, झुंन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय बाले सोनकर, अलीमुन पत्नी एकलाख, तीन लोगों को चोटें आई। प्रधान ने बताया कि जब गांवों वालो ने मानक के विपरित अवैध ब्लास्टिंग होने से मना करते हैं तो दिव्यांश कंट्रक्शन के मुंशी (मुरली) जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इस संबंध में पुलिस ने दो लोगों को पकड़कर थाने ले आई।

भारत समाचार | Bharat Samachar
@bstvlive

मिर्जापुर

➡️अवैध खनन,विस्फोटकों से ब्लास्टिंग से लोग परेशान

➡️खनन ब्लास्टिंग से 2 लोगों को आई गंभीर चोटें

➡️13 परिवारों के घरों में आया ब्लास्टिंग का पत्थर

➡️सभी ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग क्षेत्र को घेरकर दिया धरना

➡️सुनवाई न होने पर अहरौरा थाने पर पहुंचे ग्रामीण

➡️खनन विभाग ने पत्थर खनन पर लगाई है रोक

➡️रोक के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन

➡️खनन अधिकारियों की मिलीभगत से खनन का बड़ा

विरोध में आरोपित होने पर पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

आठ, मड़िहान दो का चालान हुआ।

बजे आरोपित मन्नू, हरीश चंद,

उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जाएगी।

पत्थर का टुकड़ा गिरने से तीन जख्मी

- अहरौरा के भगौती देई के घासीपुर की घटना
- प्लांट मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया

अहरौरा, हिंदुस्तान संवाद। अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौती देई के पास घासीपुर स्थित एक खदान में ब्लास्टिंग के दौरान छटक कर पत्थर का टुकड़ा गिरने से तीन लोग जख्मी हो गए। घायल सभी खदान से पचास मीटर दूर मौजूद थे। पुलिस ने घायलों का अस्पताल में उपचार कराया। तहरीर के आधार पर प्लांट मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।

क्षेत्र के भगौती देई के पास घासीपुर एक खदान है। खदान में दोपहर दो बजे ब्लास्टिंग से पत्थर का टुकड़ा छटक कर पचास मीटर दूर बस्ती में जा गिरा। पत्थर के टुकड़े गिरने से चपेट में आकर 45 वर्षीय तैरुन पत्नी जुमराती, 52 वर्षीय झुन्नी देवी पत्नी बाले व 37 वर्षीय धर्मराज सिंह उर्फ धन्नू जख्मी हो गए।

ग्राम प्रधान शौकत अली ने घटना की जानकारी पीआरवी को दी। पुलिस ने घायलों का उपचार कराया। पुलिस प्रधान की तहरीर पर प्लांट के मैनेजर मुरली उर्फ मुंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। शिकायतकर्ता संपूर्णानंद का आरोप है कि रात में अवैध रूप से क्रशर प्लांट को संचालित किया जा रहा है। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य घासीपुर व भगौतीदेई ने आरोप लगाया कि प्रतिदिन मानक के विपरीत हो रहे ब्लास्टिंग से लोग चोटिल हो रहे हैं।

बैंक का 116 वां स्थापना दिवस मना

ड्रमंडगंज। स्थानीय कस्बा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ...

घर से लापता वृद्ध का ...में मिला शव

JOIN US
9259041013
9015858585
9795161656

SKH NEWS

SKH News
R. N. I. No 56725/89

JUST JOURNALISM

skhnews @skhnews @skhnews

हैवी ब्लास्टिंग से फिर दहला घासीपुर भगौतिदेई गांव, ग्रामीणों में मचाया हंगामा

मीरजापुर। पहाड़ पर हैवी ब्लास्टिंग होने से इन दिनों ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिन गुरुवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के घासीपुर बसाड़ी व भगौतिदेई (जफरीपुर) में मानक के विपरीत अवैध रूप से हैवी ब्लास्टिंग होने से पत्थर उछलकर गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों के मकान पर गिर गया और मकान छतिग्रस्त हो गया। पत्थर की टुकड़ा गिरने से तीन महिला चोट आई। वही ग्रामीणों ने कहा कि मानक के विपरीत हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग व की कई बार शिकायत की जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की और से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। और एनजीटी द्वारा सभी प्लांट बन्द कर दिया गया था इसके बावजूद ब्लास्टिंग हो रहा है। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दर्जनों ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। ग्राम प्रधान शौकत अली ने अहरौरा थाना में लिखित तहरीर दिया कि दिन गुरुवार की दोपहर मानक के विपरित अवैध रूप से हैवी ब्लास्टिंग से खनन के पत्थर की टुकड़ा गिरने से आधा दर्जन से अधिक मकान, तैरुन पत्नी जुमराती, झुंन्री देवी पत्नी स्वर्गीय बाले, अलीमुन पत्नी एकलाख, राहुल कुमार पुत्र (क्षेत्र पंचायत सदस्य), शौकत अली ग्राम प्रधान घासीपुर, सीताराम, शोभनाथ, धर्मराज सिंह, एकलाख सहित अन्य लोगों के मकान पर पत्थर का टुकड़ा गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और तैरुन पत्नी जुमराती, झुंन्री देवी पत्नी स्वर्गीय बाले सोनकर, अलीमुन पत्नी एकलाख, तीन लोगों को चोटें आई। प्रधान ने बताया कि जब गांवों वालो ने मानक के विपरित अवैध ब्लास्टिंग होने से मना करते हैं तो दिव्यांश कंट्रक्शन के मुंशी (मुरली) जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इस संबंध में पुलिस ने आइपीसी की धारा 286, 504, 506 की मुकदमा पंजीकृत की है।

आप सभी नगर वाशियों को सावन मास, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन की

हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएं

धीरेन्द्र प्रताप (धीरू)(समाजसेवी)

जो सच्चे और निश्वार्थ मन से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो ईश्वर उनका, ना घर खाली होने देता है ना दिल में उनके लिए प्यार कम होने देता है।।

मोबाइल नंबर-9621454810, 7985942340

ब्लास्टिंग के बाद लोगों के घरोपर गिरा पत्थर

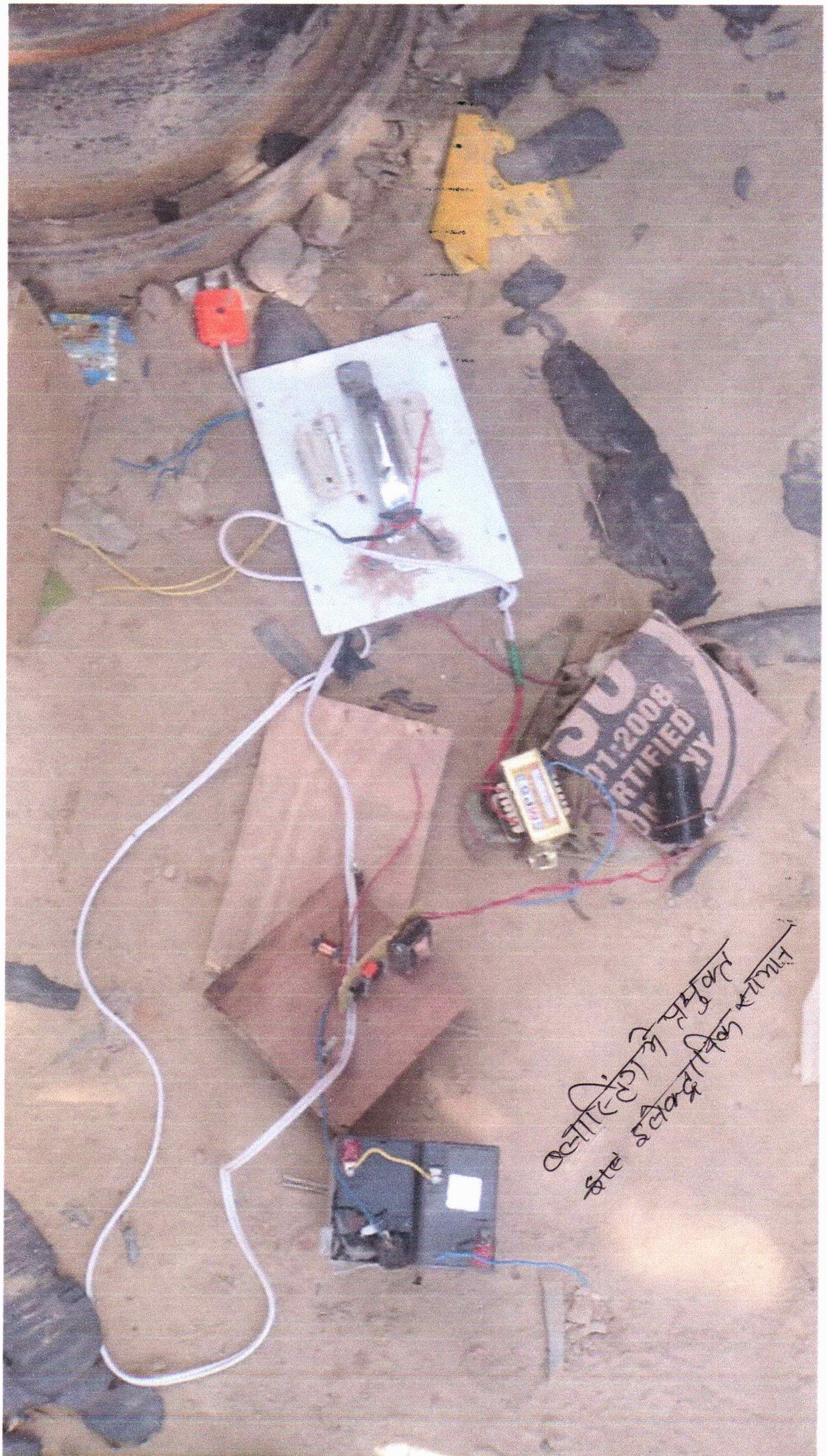
ब्लास्टिंग मे प्रयुक्त
हुए इलेक्ट्रानिक सामान

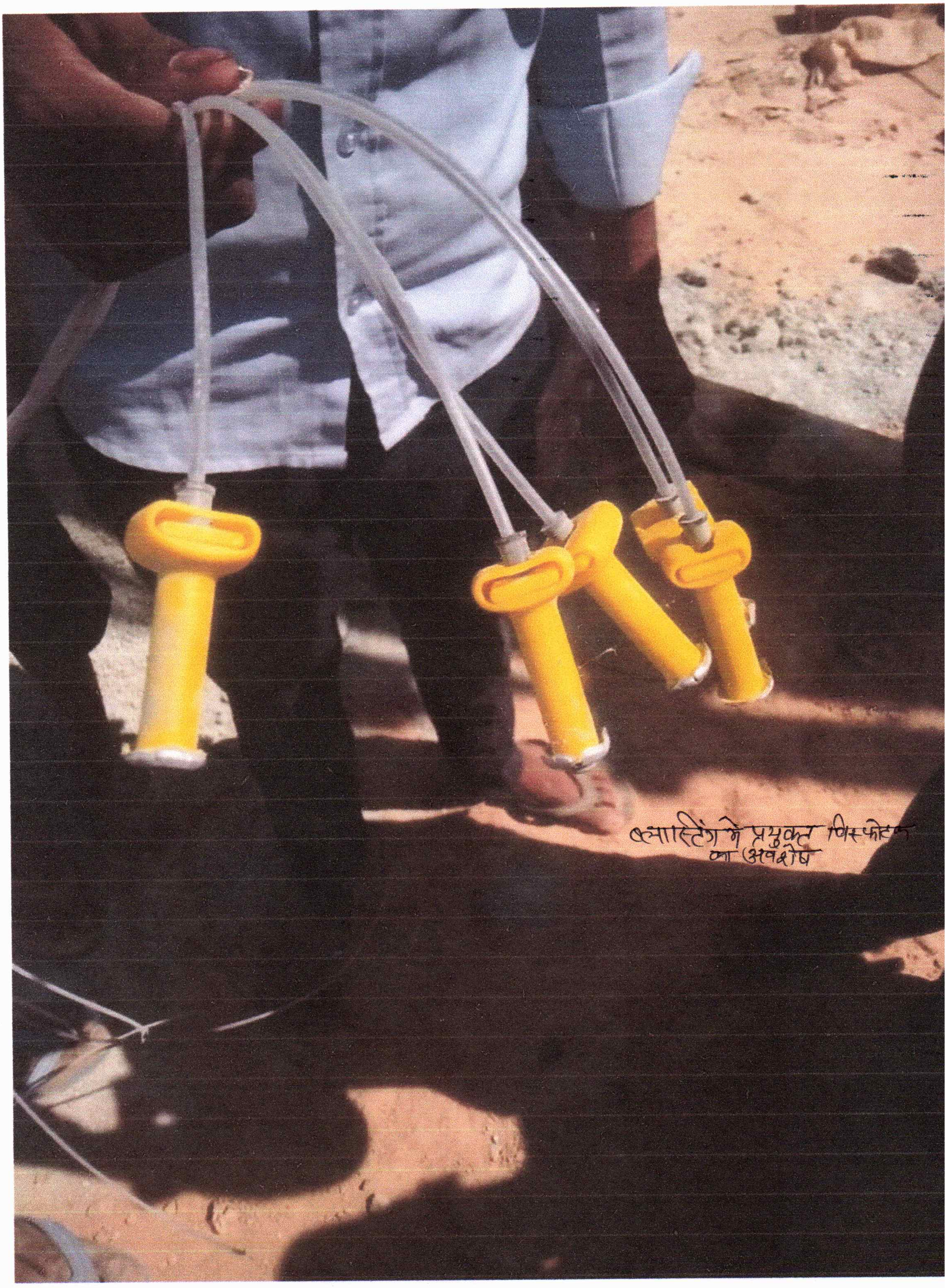
ब्लास्टिंग मे प्रयुक्त विस्फोटक
का अवशेष

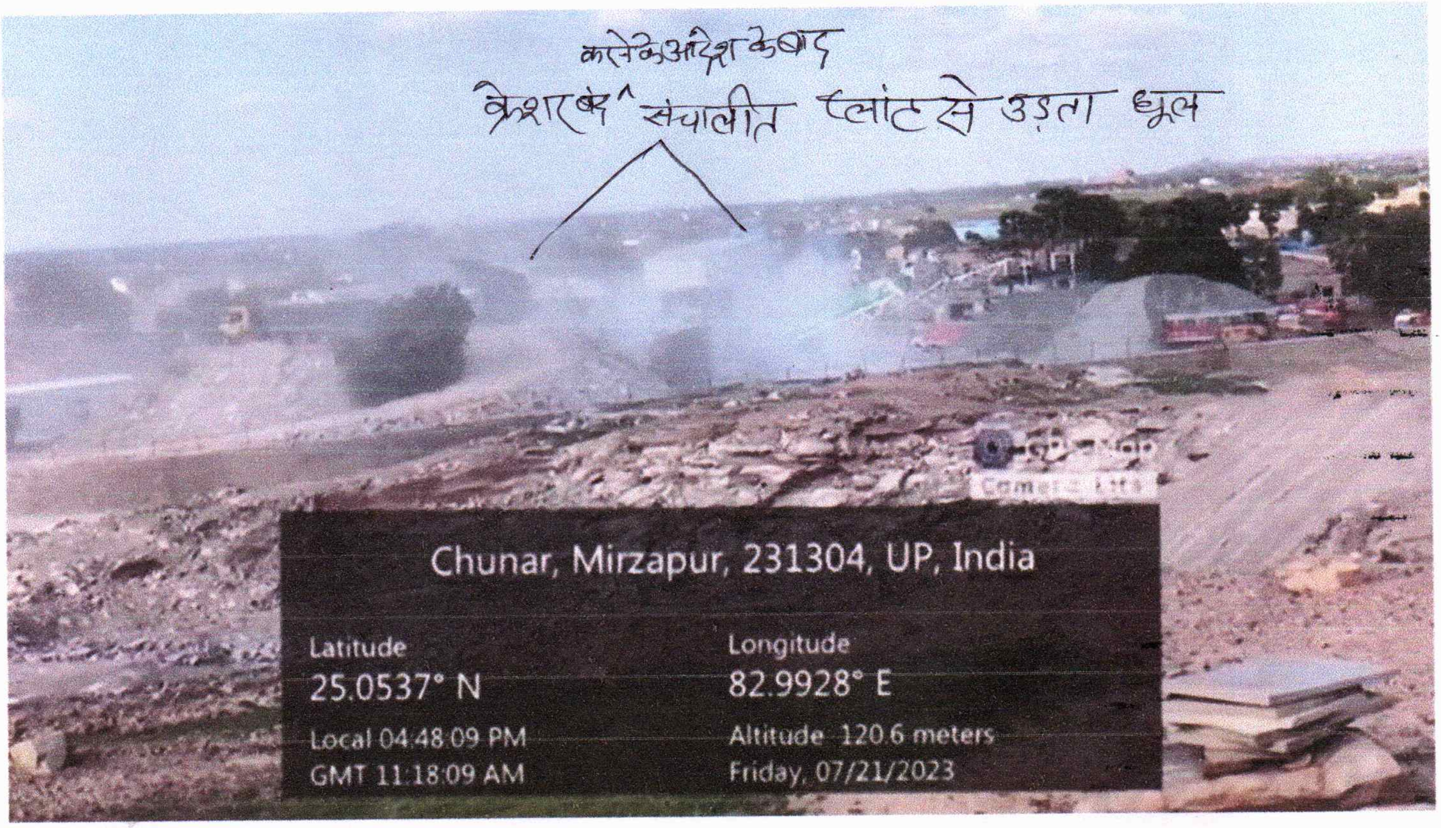
कलेक्टर आदेश के बाद
क्रेशर बंद ^ संचालीत प्लांट से उड़ता धूल
Chunar, Mirzapur, 231304, UP, India
Latitude
25.0537° N
Longitude
82.9928° E
Local 04:48:09 PM
GMT 11:18:09 AM
Altitude 120.6 meters
Friday, 07/21/2023